न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—285/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/285)

1. घीसालाल पुत्र भैरू
2. जगदीश पुत्र भैरू
3. रसाल पुत्री भैरू
4. गणेश पुत्र रायचंद
5. भंवरलाल पुत्र रायचंद
6. शारदा पुत्री भैरू

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. हीरा पुत्र मोती, जाति जाट, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर। (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 सायरीदेवी पत्नि हीरा
   1/2 सुरतादेवी पुत्री हीरा
   1/3 देशराज पुत्र हीरा
   1/4 सुमित्रा पुत्री हीरा
   1/5 विमला पुत्री हीरा
   1/6 रामधन पुत्र हीरा
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, बिजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.11.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 108/2020

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः—03.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 108/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.11.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 द्वारा राजस्व वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अन्तर्गत धारा 53, 188 बाबत् विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात गत खसरा नम्बर 1232 रकबा 6.1079 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुंक्त खातदेारी की आराजीयात रही है। वादी /रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1लगायत 3 व 06 का 3/40–3/40 व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 का 1/5 हिस्सा होकर पक्षकारान अपने अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात बाबत् सीमा सम्बन्धित विवाद होने से पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 15.09.2020 को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये, जिस पर पेशी दिनांक 15.10.2020 को अपीलांटस के सम्मन लेने से इन्कार प्राप्त हुए, इसके पश्चात पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत रही है एवं दिनांक 22.10.2020 को बिना तनकीयात बनाये एक पक्षीय कार्यवाही अपीलांटस के विरूद्ध दिनांक 29.10.2020 को की जाकर एक पक्षीय डिक्री दिनांक 05.11.2020 को बिना तनकीयात बनाये एक पक्षीय कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 29.10.2020 को की जाकर एक पक्षीय डिक्री दिनांक 05.11.2020 को पारित किये जाने के आदेश दिये गये थे एवं उसके पश्चात पत्रावली में तहसीलदार से पालना रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये गये है, जिस बाबत् बिना अपीलांटस को नोटिस जारी किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनायी जाकर दिनांक 5.11.2020 को प्रारंभिक डिक्री की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.02.2021 को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रेषित किया गया है जिस पर दिनांक 04.01.2021 को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रेषित किया गया है जिस पर दिनांक 04.01.2021 को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा राजस्व मैन्यूअल के नियम 18 से 21 की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कुरेजात तैयार करने के लिए आदेश दिये गये। इसके बावजूद बिना मौके पर तहसीलदार गये बिना अपीलांटस व्यथित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये पूर्व में प्रेषित मौका पर्चा जो कि पटवांरी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.02.2021 को बनाया गया है के आधार पर आक्षेपित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2021 से वादग्रस्त आराजीयात को विभाजन किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा वाद संख्या 108/2020, पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस को किसी प्रकार के नोटिस प्राप्त नहीं हुए है ना ही नोटिस तामिल कराए गए है, एक मात्र मौके पर नोटिस लेने से इन्कार किया गया कि रिपोर्ट का अंकन कर दिनांक 05.11.2020 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है एवं इसके उपरान्त अपीलांटस को बिना नोटिस जारी किए, बिना मौके पर उपस्थित रहने हेतु पारित किए गए, मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2021 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा निर्मित की गई है व उक्त आधार पर दिनांक 25.02.2021 को एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किए गए है। दिनांक 25.02.2021 को मौके पर अजनबी व्यक्तियों को बुनाया जाकर मुख्य सड़क से लगती हुई आराजीयात को बैचान किये जाने की धमकी दिये जाने एवं बुवाई में रूकावट किये जाने पर अपीलांटस द्वारा आपत्ति की गई जिस पर उनके द्वारा स्वयं के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पारित होने व उक्त जमीन स्वयं के हिस्से में आने बाबत् धमकाया गया।जिस पर अपीलांटस द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय व डिक्री की जानकारी चाही गई। उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.11.2021 को प्रमाणित प्रति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 29.11.2021 को प्रमाणित प्रति तैयार कर अपीलांटस को प्रदान की गई। अपने अधिवक्त से सम्पर्क कर जानकारी की दिनांक से अन्दर मयाद उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है जो कि जानकारी की दिनांक से अन्दर मयाद है। प्रार्थीगण/अपीलांटस गरीब एवं कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ है। उपरोक्त कारणों से अपील समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। विधिक जानकारी होते ही अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है यदि विलम्ब को क्षमय कर गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील जवाब/बहस अपील अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये है किन्तु किसी प्रकार की तामिली जारी नहीं कर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलांटस को उसके अधिकारो से महरूम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 05.11.2020 के अनुसरण में पत्रावली में तहसीलदार को मौके पर जाकर स्वयं बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु आदेश दिये गये है इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा प्रारंभिक डिक्री की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव दिनांक 15.02.2021 मय राजस्व रिकार्ड की प्रतियॉ दिनांक 17.02.2021 को प्रेषित की गई जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व मैन्यूअल के नियम 18 से 21 में स्वयं मौके पर जाकर कुरेजात तैयार करने के लिए पाबंद तहसीलदार को किया है।स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये गये थें उक्त आदेश की अनुपालना के बिना दिनांक 17.02.2021 को ही तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा यथा प्रस्तावित लिखा जाकर दिनांक 05.11.2020 को उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया था तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा स्वयं के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2020 के विपरीत उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार, के मौके पर जाये बिना अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन नियम 18, 19, 20 व 21 की अनुपालना में किए पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित नक्शें कुरेजात को यथा प्रस्ताविक वर्णित कर प्रेषित किया गया है जिसमें मुख्य सड़क के सहारे–सहारे की आराजीयात को रेस्पोडेन्ट के हिस्से में दर्शाया जाकर पृष्ठ भाग की आराजीयात को अपीलांटस को दिया गया है जो प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने एवं पक्षकारान के हितो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरर्मा जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2021 निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें एवं आज्ञापक प्रावधानो के अनुसरण में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदत्त करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी क्योंकि

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सभी पक्षकारान को सम्मन/नोटिस जारी किये गये थे किन्तु अपीलांटस द्वारा नोटिस जानबूझ कर नहीं लिये गये तथा प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद एवं सद्भाविक नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6 ने दौराने जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 15.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 15.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए एवं प्रतिवादीगण बावजूद जानकारी के भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा दिनांक 22.10.2020 को भी प्रतिवादीगण उपस्थिति नहीं होने के कारण न्यायहित में उपस्थिति होने के लिए अवसर भी दिया गया था किन्तु उपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात दिनांक 29.10.2020 को भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 हाजिर नहीं हुए तथा उन्हे बार बार आवाजें दिलाई गई किन्तु अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई गई। तत्पश्चात दिनांक 05.11.2020 को प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अभिभाषक अपीलांटस द्वारा यह उज्र उठाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाहीं की गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विधिवत् रूप से नोटिस जारी किये गये थे तथा पत्रावली में सलंग्न नोटिस में प्रतिवादीगण द्वारा लेने से इन्कार किया गया तथा तामील कुलिन्दा द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाये गये, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण बंटवारा नहीं करवाने हेतु तत्पर है तथा जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी के अनुसार हिस्से के बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु विधिवत रूप से प्राथमिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांटस खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थीगण का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 15.09.2020 को दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये थें। दिनांक 15.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस/सम्मन लेने से इन्कार का कथन किया तथा नोटिस की पुश्त पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुए जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस को वाद की जानकारी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर अपने अधिकारो के प्रति लापरवाह रहें तथा यदि उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तो वे उक्त एक पक्षीय आदेश/कार्यवाही के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की कार्यवाहीं नहीं कर, सीधे तौर अपील प्रस्तुत की गई है। जहॉ तक अपीलांटस के साक्ष्य व सुनवाई का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य भी सामने आते है कि दिनांक 15.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए एवं प्रतिवादीगण बावजूद जानकारी के भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा दिनांक 22.10.2020 को भी प्रतिवादीगण उपस्थिति नहीं होने के कारण न्यायहित में उपस्थिति होने के लिए अवसर भी दिया गया था किन्तु उपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात दिनांक 29.10.2020 को भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 हाजिर नहीं हुए तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को बार बार आवाजें दिलाई गई किन्तु अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई गईं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये गये है तथा प्राथमिक डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही प्राथमिक डिक्री जारी की है, जिसमें किसी भी पक्षकारान का हिस्सा कम/ ज्यादा नहीं किया गया है। अपीलांटस अपनी अपील में यह भी बताने में असफल रहा है कि वे प्राथमिक डिक्री से किस प्रकार व्यथित है। उपरोक्त अनुसार अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में किये गये कथन सारहीन है तथा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज एवं विधिक त्रुटि साबित नहीं कर पायें। अपील अपीलांटस खारिज की जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 108/20 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.11.2020 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner